

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक.....

विषय:- पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के Operation and Maintenance हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रु०) मात्र के सब्सिडी के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 02 वर्ष 08 महीने के अवधि के रख-रखाव कार्य के हेतु सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय ₹179.37 करोड़ मात्र पर इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विभागीय संकल्प संख्या-7946, दिनांक-21.07.2025 द्वारा प्रदान किया गया है।

2. उक्त के क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के पत्रांक- DMRC/PatnaMetro /O&M/CEO/01/21, दिनांक-13.10.2025 द्वारा प्रायोरिटी कॉरिडोर अंतर्गत पटना मेट्रो रेल के परिचालन हेतु अक्टूबर, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक का त्रैमासिक व्यय ₹18.74 करोड़ (अठारह करोड़ चौहत्तर लाख रु०) मात्र दर्शाते हुये कुल ₹25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रु०) रुपये मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में प्रायोरिटी कॉरिडोर अंतर्गत पटना मेट्रो रेल के परिचालन हेतु द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि में से कुल ₹25.00 करोड़ रुपये मात्र सब्सिडी के रूप में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98, पत्रांक-227 दिनांक- 28.03.2025 एवं पत्रांक-950, दिनांक-12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट से प्रावधानित राशि से किया जाएगा। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के PL खाता PBBPLA015(HOA-8448-00-120-0035-0001) में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जायेगा। तत्पश्चात् बुडा द्वारा राशि का हस्तांतरण पटना

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० के HDFC बैंक के खाता सं०-50200113960401 एवं IFSC Code-HDFC0000186 में किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
6. स्वीकृत राशि ₹25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-3075-अन्य परिवहन सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, उप शीर्ष-0101-पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०, विषय शीर्ष-3301- सब्सिडी, विपत्र कोड-48-3075601900101, विषय शीर्ष-0101.3301 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि में से होगी।
7. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
8. भारतीय अंकंक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
9. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ० सं०-80/टि० पर दिनांक-15.01.2025 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ० सं०-83/टि० पर दिनांक-16.01.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक:-03/मेट्रो-17-02/2025

438

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 12/01/26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० (PMRCL), इंदिरा भवन, 7वाँ तल, पटना स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना मेट्रो अनुरक्षण एवं रख-रखाव, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRCL)/सचिव के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2(बजट), 03 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।